तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **धर्मसिंह बनाम ढेलकंवर वगैरह, मुकदमा संख्या – 15 / 2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
05.11.2024	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 एक ही दादा विरदसिंह की संतान है। विरदसिंह के परिवार की पुश्तैनी खातेदारी भूमि जो प्रथम सर्वे के वक्त विरदसिंह के नाम थी, जिसके खसरा संख्या 1071 रकबा 13 बीघा, खसरा संख्या 334 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 341 रकबा 36 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 406 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 1077 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 1079 रकबा 44 बीघा 06 बिस्वा जुमले रकबा 126 बीघा 14 बिस्वा थी। विरदसिंह के फौते होने पर उनके तीनों पुत्रों के नाम खातेदारी दर्ज होनी थी जो नहीं होकर मात्र अभयसिंह के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो गलत है। विरदसिंह के अभयसिंह के अलावा सोहनसिंह व मंगलसिंह दोनों पुत्र प्रथम अनुसूची के वारिस है जिनके नाम खातेदारी दर्ज नहीं करने का कोई कारण नहीं है परन्तु अभयसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विरदसिंह की भूमि अकेले अपने नाम करवा ली जो उन्हें ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं था। विरदसिंह के जीवनकाल से व उनके फौत होने के बाद तक समान रूप से उक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। गलत ढंग से राजस्व रेकर्ड से हमारा नाम हटा दिया गया। अभयसिंह के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी उनके पुत्र / पत्नी के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिसमें अभयसिंह के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 है जिसमें अभयसिंह के पुत्र विरमसिंह ने अपने उक्त खातेदारी खेत में से खसरा संख्सया 1898, 2311, 2312, 2313, 2314 जुमले रकबा 10.37 हैक्टेयर भूमि में से 1 / 4 हिस्सा अप्रार्थी करमीदेवी पत्नी पुराराम कलबी को बेचान कर दी जो विरमसिंह के हिस्से में से कम होगी। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है तथा उस पर विरदसिंह के जीवनकाल में जरिये उतराधिकार व जायंदा पुत्र होने से सोहनसिंह व मंगलसिंह काबिज थे, उसके बाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 अंश अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। नियमित कब्जा काश्त होने से यह भूमि अकेले अभयसिंह के नाम दर्ज होने का हमें कभी अभिज्ञान नहीं हुआ व अभी अभयसिंह के वारिसों द्वारा इस भूमि का आपसी बंटवाड़ा करने की पेशकश करने पर हमें बंटवाड़ा में शामिल नहीं करने पर हमारे बाले–बाले बंटवाड़ा का वाद पेश करने पर हमे अभिज्ञान हुआ तो हमने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर मालुम हुआ कि विरदसिंह के फौत होने पर विरदसिंह के तीनों पुत्रों के नाम खातेदारी दर्ज होनी थी जो न होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 4 अभयसिंह अकेले के नाम खातेदारी दर्ज कर दी उसमें अजनबी व्यक्ति गांव चौधरी रूड़ा जिसका हमारी खातेदारी से कोई सरोकार नहीं है, के कहने पर भूमि मात्र अकेले अभयसिंह के नाम दर्ज कर दी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज भूमि आगे किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर देंगे जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रूपयों पैसों में कि[illegible] जबकि वादग्रस्त आराजी हमारी पुश्तैनी है तथा उस पर [illegible] काश्त है इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का [illegible] मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों [illegible] आधारभूत स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] का हकदार होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन व मनगंढत होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
([illegible])

पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कारोला के खेत खसरा संख्या 582, 583, 584, 585, 1773, 1897, 1898, 2311, 2312, 2313, 2314 नये सृजित नंबर 3037/1773, 3066/3035 जुमले रकबा 18.41 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:33 IST
Reason: SelfAttested